राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2 सैक्टर – 17
पंचकूला, हरियाणा – 134109

Website:www.secharyana.gov.in
Email id:sec@hry.nic.in

Phone: +91172 2584810

क्रमांकः एस.ई.सी./3एम.ई./2024/1243–64 दिनांकः–12.09.2024

सेवा में

हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त,

विषयः– नगरनिकाय संस्थाओं के आम चुनाव उपरांत चुनाव खर्चा रजिस्टर जमा ना करवाने वाले उम्मीदवारों की सूचना भेजने बारे।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा द्वारा जारी आदेश पृष्ठांकन क्रमांक एस0ई0सी0/3एम0ई0/2023/304–446, दिनांक 07.03.2023 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चुनाव खर्चा रजिस्ट्र का लेखा जोखा समय पर जमा ना करवाने वाले उम्मीदवारों की अयोग्यता के आदेश जारी करने से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एच के तहत चुनाव खर्च का लेखा जोखा उपायुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास चुनाव परिणाम के तीस दिनों के भीतर जमा किया जाना अनिवार्य होता है। अयोग्य घोषित किये गये उम्मीदवार को खर्चा रजिस्ट्र समय उपरांत जमा न करवाने उपरांत कारण बताओ नोटिस के अन्तर्गत व्यक्तिगत सुनवाई करने उपरांत हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13एफ के तहत पांच वर्ष के लिये चुनाव ना लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है।

2. अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि नगरनिकाय संस्थाओं के आम चुनाव उपरांत चुनाव खर्चा रजिस्ट्र जमा न करवाने वाले उम्मीदवारो की अयोग्यता के आदेश जारी करने से पहले उम्मीदवारों को निजी सुनवाई करते हुये तथ्यों का संज्ञान लेकर सही निर्णय करके मामले में रिपोर्ट/सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को भिजवाने का कष्ट करे।

भवदीया,

सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
कृतेः राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,
पंचकूला। 12/9/2024